

राजस्थान सरकार

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:-संस्था/चि0अ0/एटी/प01/2008/138

दिनांक- 17/09/08

:- आदेश :-

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से चिकित्सा अधिकारियों के पदों पर चयनित नवनियुक्त अभ्यर्थियों के पदस्थापन स्थान में उनके नामों के आगे अंकित अनुसार संशोधन किया जाता है :-


क्र. सं.	नाम चिकित्सा अधिकारी	आदेश क्र. व दिनांक	मेरिट	जन्मतिथि	वर्ग	पूर्व पदस्थापन स्थान	नवीन पदस्थापन स्थान
1	डा. विजय रानी, मकान नं. 1-सी-22, महावीर नगर विस्तार योजना, कोटा	126/05. 09.08	108	09-08-74	सामान्य महिला	प्रा0स्वा0केन्द्र साईवाड शाहपुरा (जयपुर)	प्रा0स्वा0केन्द्र रेनवाल मांजी (जयपुर)
2	डा. दिनेश गौतम, पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा (व्याख्याता) गली नं. 4, शिवाजी कॉलानी, निवाड़ी, टोंक-304021	126/05. 09.08	109	24-10-74	सामान्य	प्रा0स्वा0केन्द्र निम्बोल (पाली)	प्रा0स्वा0केन्द्र छान (टोंक)
3	डा. याद राम यादव, पुत्र श्री ईश्वर लाल यादव, गांव सौलग्या की ढाणी, पो. जोरपुर, वाया जोबनेर, जयपुर	126/05. 09.08	201	01-01-80	अ0पि0व0	प्रा0स्वा0केन्द्र दयालपुरा (नागौर)	प्रा0स्वा0केन्द्र बाय (सीकर)
4	डा. धर्मवीर जाजडा, द्वारा राधेश्याम प्रजापति, 2/533 कुसी भगतासानी, राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड, जोधपुर-342005	130/12. 09.08	144	22-07-80	अ0पि0व0	प्रा0स्वा0केन्द्र पाचोडी (नागौर)	प्रा0स्वा0केन्द्र टाटवास (अजमेर)
5	डा. योगेश कुमार, पुत्र श्री महेन्द्र सिंह, ग्रा. पो. मौलिया, तह0 लक्ष्मणगढ, अलवर - 301021	134/15. 09.08	183	08-07-79	अ0पि0व0	प्रा0स्वा0केन्द्र बघेरीकलां (अलवर)	सामु0स्वा0केन्द्र उमेरन (अलवर)

जो चिकित्सक पूर्व में तदर्थ/समेकित वेतन पर कार्यरत हैं वे अपना चार्ज संभलाकर कार्यमुक्त होकर ही नवीन स्थान पर कार्यग्रहण करेंगे। नियुक्ति आदेश में अंकित अन्य शर्तें यथावत रहेगी।

निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1) निजि सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- 2) निजि सचिव, माननीय चिकित्सा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
- 3) निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
- 4) सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- 5) शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप-2), राजस्थान, जयपुर।
- 6) संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन, संबंधित।
- 7) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी संबंधित को भेजकर लेख है कि अभ्यर्थियों के कार्यग्रहण के समय संतानों के संबंध में वचन पत्र एवं यदि शादि शुदा हो तो मेरिज सर्टिफिकेट प्राप्त कर मूल ही अभ्यर्थी के कार्यग्रहण की सूचना भिजवाने के समय अनिवार्य रूप से साथ में भिजवावें एवं छाया प्रति आपके कार्यालय हेतु रख लें।
- 8) रजिस्ट्रार, राजस्थान मेडिकल काउंसिल, जयपुर।
- 9) संबंधित चिकित्सक को उनके घर के पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा।
- 10) आदेश पत्रावली / निजि पत्रावली।


निदेशक (जन स्वा०)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।